Estt. 2024

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY, KOTA

क्रमांक :– एफ4/स्था0/2024/769 दिनांक :– 13-11-2024

श्रीमान अधीक्षक महोदय,
केन्द्रीय मुद्रणालय
जयपुर

विषय :– विनियमो का राजपत्र मे प्रकाशन कराये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 96 के तहत प्राधिकरण द्वारा ''कोटा विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम 2023 विरचित किये गये है।'' अधिनियम की धारा 96 (2) के तहत उक्त विनियमो का राजपत्र मे प्रकाशन कराया जाना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त विनियमो की प्रमाणित प्रति, प्राधिकरण के निर्णय की छायाप्रति संलग्न कर राजपत्र मे प्रकाशित कराये जाने का श्रम करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(कुशल कुमार कोठारी)
सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

तुलसीदास सर्किल के पास, दादाबाड़ी कोटा दूरभाष नं 0744-2500879, फेक्स नं 0744-2500828 वेबसाईट lsg.rajasthan.gov.in ई मेल आई डी uitkota@gmail.com

Scanned with CamScanner

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2023

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रभाव :–**
   - 1.1 यह विनियम, कोटा विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2023 कहलायेंगे।
   - 1.2 यह विनियम, राज–पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।
   - 1.3 यह विनियम, प्राधिकरण के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं :–** इन विनियमों में जब तक विषय अथवा सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   - 2.1 **अधिनियम से अभिप्राय :–** कोटा विकास प्राधिकरण, 2023 (2023 के अधिनियम संख्या 31) से है।
   - 2.2 **विनियम एवं नियमों से अभिप्राय :–** अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अथवा समय–समय पर बनाये और प्रभावशील होने वाले विनियमों, नियमों से है जब तक कि किसी दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित ऐसे विनियमों, नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो।
   - 2.3 **धारा से अभिप्राय :–** अधिनियम की धाराओं से है जब तक कि धारा के साथ किसी अन्य अधिनियम का उल्लेख न हो।
   - 2.4 **समिति अथवा समितियों से अभिप्राय :–** उन समस्त समितियों से है जो धारा 10 के अन्तर्गत प्राधिकरण या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित की जाएं।
   - 2.5 **प्राधिकरण के सदस्यों से अभिप्राय :–** धारा 4 में उल्लेखित सरकारी एवं इस धारा के क्लाज (xxii) में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर–सरकारी सदस्यों से है।
   - 2.6 **समिति के अध्यक्ष/सदस्यों से अभिप्राय :–** इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए बनाये गये अध्यक्ष/सदस्यों से है।
   - 2.7 जब तक राज्य सरकार अथवा विधि अनुरूप अन्यथा निर्धारित न किया जाय, उपरोक्तानुसार परिभाषित के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2 में की गई व्याख्या अन्य शब्दावली इन विनियमों के प्रयोजनार्थ विधि संगत मानी जायेगी।
3. **गठित की जाने वाली समितियां :–** अधिनियम की धारा 10 व अधिनियम के तत्सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण की ओर से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार समितियां गठित की जा सकेंगी :–
   1. भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति
   2. भवन मानचित्र समिति **(BP)**
   3. ले–आउट प्लान समिति **(LP)**
   4. अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू–उपयोग परिवर्तन समिति
   5. अन्य वे समितियां, जो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समय–समय पर और गठित की जाए।

निदेशक (विधि) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा (राज०)

निदेशक (आयोजना) कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

डॉ. नीतू सिंह निदेशक वित्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

रवीन्द्र प्रकाश माथुर निदेशक अभियान्त्रिकी कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कुशल कुमार कोठारी सचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

Scanned with CamScanner

4. **समितियों के कर्तव्य/अधिकार :–** विनियम 3 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की समितियों के कर्तव्य/कार्यकलाप निम्न प्रकार होंगे :–

4.1 भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति :–

इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1– आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	अध्यक्ष
2– सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
3– निदेशक विधि, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
4– निदेशक (अभियांत्रिकी), कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
5– निदेशक (नगर नियोजन), कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
6– सम्बन्धित जोन उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य सचिव

उक्त समिति के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(1) राजकीय /अर्द्धराजकीय/स्वायत्तशाषी विभागों के भूमि आवंटन के संबंध में उक्त समिति निर्णय लेगी। गैर सरकारी निजी आवंटन हेतु समस्त प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ रखे जावेगें।

(2) भवन मानचित्र समितियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर के सभी प्रकार के भू–खण्डों के उपविभाजन की कार्यवाही पर विचार कर निर्णय लेना।

(3) स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के मामलों का निस्तारण।

(4) भूमि सहित सम्पत्ति के निपटारों से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना।

(5) प्राधिकरण की किसी योजना के लिए समझौता वार्ता से भूमि अवाप्त करने विनिमय एवं लीज पर लेने सम्बन्धी प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेना।

(6) भूमि/भू–खण्डों के हस्तानान्तरण के प्रकरणों पर निर्णय लेना स्पष्टीकरण।

(7) भूमि के निष्पादन और आंवटन के सम्बन्ध में समिति निर्णय उपरान्त प्रकरण अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन लिया जाकर कार्यवाही की जावें।

(1) Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 एवं संशोधनों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(2) यह समिति उनके सामने प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों की स्क्रिनिंग करवाने के लिए आवश्यकतानुसार उपसमिति बना सकेगी।

4.2 भवन मानचित्र समिति (BP) :–

इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1– आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	अध्यक्ष
2– सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
3– निदेशक (नगर नियोजन), कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
4– सम्बन्धित जोन उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य
5– उप नगर नियोजक, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	–	सदस्य सचिव

उक्त समिति के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(1) भवन मानचित्र समिति राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेशों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार गठित मानी जायेगी।

(2) भवन निर्माण स्वीकृति प्रचलित भवन विनियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेशों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों में निर्धारित सहायता अनुसार जारी करना।

निदेशक (विधि) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा (राज०)

निदेशक (आयोजना) कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

डॉ. नीतू सिंह निदेशक वित्त कोटा विकास प्राधिकरण

रवीन्द्र प्रकाश माथुर निदेशक अभियान्त्रिकी कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कुशल कुमार कोठारी सचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

Scanned with CamScanner

4.3 ले–आउट प्लान समिति (LP) :–

इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1– आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – अध्यक्ष
2– सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
3– निदेशक (नगर नियोजन), कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
4– सम्बन्धित जोन उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
5– उप नगर नियोजक, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य सचिव

उक्त समिति के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(1) ले–आउट प्लान समिति राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेशों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार गठित मानी जायेगी।

4.4 अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भू–उपयोग परिवर्तन समिति :–

इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1– आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – अध्यक्ष
2– सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
3– निदेशक (नगर नियोजन), कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
4– निदेशक विधि, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
5– सम्बन्धित जोन उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा – सदस्य
6– अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा विकास प्राधिकारण, कोटा – सदस्य सचिव

उक्त समिति के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(1) भू–उपयोग परिवर्तन समिति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना/आदेशों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार गठित मानी जायेगी।

(2) भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेशों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।

(3) समिति निर्णय उपरान्त प्रकरण अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन लिया जाकर कार्यवाही की जावें।

अधिकार :– विनियम संख्या 3 में उल्लेखित विभिन्न समितियां उनके लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन के निमित अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्राधिकरण की उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगी जो Specific रूप से अधिनियम व अन्य वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति या पदेन अधिकारी के नाम से उल्लेखित की हुई नहीं हो।

स्पष्टीकरण :– विनियम 4 में उल्लेखित समितियों के उद्देश्य, फंक्शन और अधिकारों के समय–समय पर अभिवृद्वि या कमी प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त/अधिकृत अधिकारों के अन्तर्गत की जा सकेगी।

5. **समितियों में बाहरी व्यक्तियों का अनुपात :–** समिति में जितने सदस्य धारा 4 में प्राविधित प्राधिकरण के सदस्य शामिल किये जाएंगे उनके अनुपात में धारा 10(1) में प्राधिकरण के अन्य पदेन अधिकारी व बाहर के व्यक्ति आधे से अधिक नहीं होंगे जिन्हें प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जावेगा। ऐसे मनोनीत सदस्यों को प्राधिकरण के अध्यक्ष समय–समय पर बदल सकेंगे।

निदेशक (विधि) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा (राज०)

निदेशक (आयोजना) कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

डॉ. नीतू सिंह निदेशक वित्त कोटा विकास प्राधिकरण

रवीन्द्र प्रकाश माथुर निदेशक अभियान्त्रिकी कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कुमार कोठारी सचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

Scanned with CamScanner

6. **समितियों के अध्यक्ष :–** समितियों के अध्यक्ष धारा 4 में उल्लेखित प्राधिकरण के सदस्यों में से बनाये जायेंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष समिति के अध्यक्षों व सदस्यों को समय–समय पर बदल सकेंगे।

7. **समिति की बैठकें और गणपूर्ति :–** सभी समितियों की बैठकें माह में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। समितियों का कोरम आधे सदस्यों का माना जायेगा। किसी प्रस्ताव पर बराबर मतों की अवस्था में अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा।

8. **समितियों के सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन :–** इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए सचिव के कर्तव्य का निर्वहन प्राधिकरण के सचिव धारा 8(3) के अनुसरण में करेंगे, किन्तु सुगम कार्य संचालन और सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से प्राधिकरण के सचिव अपने अधीन किन्हीं अन्य अधिकारियों को इन समितियों के सचिव के कर्तव्य निर्वहन हेतु अपनी ओर से अधिकृत कर सकेंगे।

समिति के सचिव बैठक समाप्ति के तीन दिन के अन्दर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रेषित करेंगे। धारा 4(3) में उल्लेखित प्रतिबधों के अध्ययीन रहते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष किसी समिति के निर्णय को बदल सकेंगे और किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए समितियों को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

9. **समिति के लिए एजेन्डा :–** समिति में विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले विषयों/प्रकरणों का एजेन्डा आयोजित बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व जारी किया जायेगा। किन्तु एजेन्डे के अतिरिक्त मामलों पर अध्यक्ष व सदस्यों की सहमति से बैठक में विचार किया जा सकेगा। समिति का एजेन्डा समिति के सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात् जारी किया जाएगा एवं बैठक की कार्यवाही के आलेख का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा करने के पश्चात् मिनिट्स जारी की जायेगी।

10. **समिति की बैठकों का आयोजन व स्थान निरीक्षण :–** सामान्यतया समितियों की बैठकें प्राधिकरण के मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी किन्तु अध्यक्ष की सहमति से कोटा शहर में आवश्यकता के अनुरूप दूसरे स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है। समिति यदि किसी स्थल पर निरीक्षण करना चाहेगी तो प्राधिकरण के सचिव तत्सम्बन्धी व्यवस्था करवायेंगे।

11. **समितियों के विनिश्चयों की अनुपालना :–** समितियों के निर्णयों की पालना निर्णय के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करने का उत्तदायित्व समिति के सचिव का होगा। जहां जिस स्तर पर ओदश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करवानी हो वहां पत्रावली प्रेषित कर शीघ्र पालना करवाई जायेगी। कार्यवाही सचिव द्वारा नही करवाने की अवस्था में समिति के अध्यक्ष बिना विलम्ब किये प्राधिकरण के अध्यक्ष की जानकारी में तथ्यों को लाऐंगे और प्राधिकरण के अध्यक्ष निर्णय की अनुपालना न होने की स्थिति में उचित व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश प्रदान करेंगे।

12. **समिति के सदस्यों के लिए बैठक का भत्ता :–** समिति के केवल उन सदस्यों को जो पदेन सरकारी अधिकारी नहीं है, प्रत्येक बैठक के भत्ते के रूप में 500 रूपये प्राधिकरण के कोष से देय होंगे।

कुशल कुमार कोठारी
सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

रवीन्द्र प्रकाश माथुर
निदेशक अभियान्त्रिकी
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

डॉ. नीतू सिंह
निदेशक वित्त
कोटा विकास प्राधिकरण

निदेशक (आयोजना)
कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

निदेशक (विधि)
कोटा विकास प्राधिकरण
कोटा (राज०)

Scanned with CamScanner

Fw: विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन (KDA).pdf

From: uitkota kotauit (kotauit@yahoo.com)
To: govt.pressjaipur@gmail.com
Date: Wednesday, November 13, 2024 at 05:36 PM GMT+5:30

Respected Sir/Madam

Plz Find the Attachment.

Thank's & Regards,
UIT Kota

पर्यावरण बचाने मे सहयोग करें। यदि आवश्यक न हो तो इस पृष्ठ का प्रिंट न करें।

----- Forwarded Message -----
From: Pinto <pintuaustin@gmail.com>
To: "uitkota@gmail.com" <uitkota@gmail.com>; uitkota kotauit <kotauit@yahoo.com>
Sent: Wednesday, November 13, 2024 at 04:21:55 PM GMT+5:30
Subject: Fwd: विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन (KDA).pdf

कृपया केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित करें

---------- Forwarded message ---------
From: **Pinto** <pintuaustin@gmail.com>
Date: Wed, 13 Nov 2024, 16:19
Subject: विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन (KDA).pdf
To: <uitkota@gmail.com>, uitkota kotauit <kotauit@yahoo.com>

कृपया केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजें

विनियमों का राजपत्र में प्रकाशन (KDA).pdf
2.1MB

KDA Second Meeting.docx
32.7kB

Scanned with CamScanner